न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
111 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	16.06.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स लोकेश किराणा स्टोर सुरेली मोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक राज. निवासी जैन मन्दिर के पास बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक

2–श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स गौरव एजेन्सीज हाथाई का मोहल्ला नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 4 नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक

3–श्रीमति उमा शर्मा पत्नि श्री प्रेमप्रकाश शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स पी.जी. सेल्स 20 द्वारिका नगरी श्री कैलाशपति स्वर्ण दुर्गा मन्दिर के पास एनएच–12 टोंक जिला टोंक राज.

4–श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री भगवान सहाय गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम सेल्स एजेन्सीज ई–6–फेज–द्वितीय सूरजपोल मण्डी जयपुर निवासी 5 जैन गार्डन बदनपुरा ब्रह्मपुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर

5–श्रीमति प्रियंका गुप्ता पत्नि श्री अशोक कुमार गुप्ता पार्टनर मैसर्स नीरज मार्केटिंग 5 जैन गार्डन बदनपुरा ब्रह्मपुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर निवासी जैन गार्डन बदनपुरा ब्रह्मपुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर

6–श्री राठौड राजूभाई उंकाभाई नॉमिनी मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा नं. 54 / 2, 54 / 2ए, 54 / 2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन निवासी जूनो तलोदरा रोड कात्या काडी विस्तार, शिल, जूनागढ, गुजरात

7–मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा नं. 54 / 2, 54 / 2ए, 54 / 2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री देवीप्रकाश तिवाडी उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 16.06.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.03.2022 को समय 01:31 पी.एम पर मैसर्स लोकेश किराणा स्टोर सुरेली मोड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन मिला,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर/मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** 452–452 ग्राम के 10 नग मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री लोकेश कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** जिसके बैच नं. 046 एवं पैकिंग की दिनांक 02/22 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 452–452 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** 452–452 ग्राम मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3165 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3165 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय श्री लोकेश कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गौरव एजेन्सीज हाथाई का मोहल्ला नगरफोर्ट तह. दूनी जिला टोंक का खरीद बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1037 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./271/एक्ट/2022/311 दिनांक 04.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना मैसर्स गौरव एजेन्सीज को भिजवायी गयी। उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध मैसर्स गौरव एजेन्सीज के व्यवहारी ने नमूना पुनः जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया और साथ ही मैसर्स पी.जी. सेल्स 20 द्वारिका नगरी श्री कैलाशपति स्वर्ण दुर्गा मन्दिर के पास एनएच–12 टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत किया। अपील किए जाने पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस. एस.ए/588/एफ/2022 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है जिसकी सूचना संबंधित विक्रेताओं को भिजवायी गयी।

वारंटी होने के कारण मैसर्स पी.जी. सेल्स के व्यवहारी ने मैसर्स श्री श्याम सेल्स एजेन्सीज ई–6–फेज–द्वितीय सूरजपोल मण्डी जयपुर का बिल पेश किया जिससे आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स नीरज मार्केटिंग 5 जैन गार्डन बदनपुरा ब्रह्मपुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा मैसर्स नीरज मार्केटिंग 5 जैन गार्डन बदनपुरा ब्रह्मपुरी त्रिपोलिया बाजार जयपुर से पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म ने मैसर्स एस.डी.पी. इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. खसरा नं. 54/2, 54/2ए, 54/2बी, फायर स्टेशन के पीछे, रिंगवाडा, ग्राम दाबेल, दमन का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री देवीप्रकाश तिवाडी उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **गाय का घी गोकुल एगमार्क ब्राण्ड (Cow's Ghee Gokul Agmark Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.06.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक